

FSSAI द्वारा "100% फलों का रस" के झूठे दावों पर कार्रवाई

[स्रोत: द हट्टि](#)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा वनिरिमाताओं या **खाद्य व्यापार संचालकों (Food Business Operators- FBO)** को जारी निर्देश के अनुसार, पुनर्नरिमति रस से तैयार उत्पादों पर "100% fruit juice" (यानी 100% फलों का जूस) के नए दावे को हटा दिया जाना चाहिये।

- पुनर्नरिमति रस, सांद्रति फलों के रस में पुनः जल मिलाकर बनाया जाता है।
- FSSAI का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना है, जो यह मानते हैं कि उन्हें शुद्ध एवं बनिा मलावट वाला जूस मलि रहा है।


प्रमुख वनियिमः

- कोई "100% जूस" दावा नहीं: वजिजापन और दावा वनियिमन (2018) के अनुसार, कसिी भी फल के रस उत्पाद के लयि ऐसे दावों की अनुमति नहीं है।
- "पुनर्नरिमति" लेबललिः खाद्य उत्पाद मानक एवं योज्य वनियिम (2011) के अनुसार पुनर्गठति जूसों में घटक सूची में स्पष्ट रूप से "पुनर्नरिमति" लिखिा होना चाहयिे।
- "स्वीटनर पारदर्शतिः 15 ग्राम/कलिोग्राम से अधिक पोषक स्वीटनर वाले जूस पर "मीठा जूस" का लेबल लगाया जाना चाहयिे।

FSSAI

- इसकी स्थापना **खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम (2006)** के तहत की गई है।
- यह स्वास्थय एवं परिवार कलयाण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त नकियाय है।
- मशिनः वशि्व स्तरीय खाद्य सुरक्षा मानक स्थापति करना, सुव्यवस्थति वनिरिमाण प्रथाओं को बढावा देना तथा खाद्य व्यवसाय नयिमों का पालन सुनश्चिति करना।

//



और पढ़ें: [भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण \(FSSAI\)](https://www.fssai.gov.in/), [FSSAI](https://www.fssai.gov.in/) खाद्य सुरक्षा नयिमें को सुव्यवस्थति करेगा

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fssai-cracks-down-on-misleading-100-fruit-juice-claims>